सुंदरी देवी बनाम संतोश और अन्य

विनोद एस. भारद्वाज से पहले, न्यायधीश

सुंदरी देवी और अन्य-अपीलकर्ता

बनाम

संतोश और अन्य - प्रतिवादी

सी. आर. No.1294/2022

11 अप्रैल, 2022

भारत का संविधान, 1950-Art.227-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 केआदेश 39 नियम 1 और 2 के खंड 151 - सह-हिस्सेदार और सह-मालिक याचिकाकर्ता/ पट्टेदार/ प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा का अनुदान जो प्रत्यर्थियों/ वादियों के हित में पूर्ववर्ती के अनन्य और खेती के कब्जे में हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित है-चुनौती दी गई यह तर्क देते हुए कि सह-हिस्सेदार और सह-मालिक के खिलाफ निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती थी-धारित, याचिकाकर्ताओं/प्रतिवादियों को भूमि में प्रवेश करने लिए सह-हिस्सेदार के अधिकार से इनकार करने का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, विशेष रूप से जब ऐसा सह-हिस्सेदार के पास पहले से ही अपने हिस्से की सीमा तक भूमि का कब्ज़ा हो -याचिका खारिज कर दी गई।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को उचित संदर्भ में पेश किया गया है, यह पैरा संख्या 18 के अवलोकन से स्पष्ट है। उक्त निर्णय में कहा गया है कि "सह-हिस्सेदार मुकदमा भूमि के विशेष कब्जे में होने के कारण निचली अदालतों के समक्ष समवर्ती रूप से साबित नहीं हो सका।" इसलिए, न्यायालय के समक्ष तथ्य का एक निश्चित खोज दर्ज किया गया था कि सह-हिस्सेदार, जिसने कार्यवाही शुरू की थी, मुकदमे की भूमि पर अपना विशेष कृषि अधिकार स्थापित नहीं कर सका। मौजूदा मामले में तथ्य का ऐसा कोई निष्कर्ष उपलब्ध नहीं है। वास्तव में, यह याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित मुकदमा भी नहीं है कि वे मुकदमे की संपत्ति के अन्य सह-हितधारकों के बहिष्कार के लिए विशेष रूप से खेती के कब्जे में हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा भूमि पर अपने खेती के कब्जे को स्थापित करने के लिए किसी भी खसरा, जामबंदी या राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है। उन्होंने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की वेबसाइट पर याचिकाकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए एक वेब-पोर्टल "मेरी फसल मेरा ब्योरा" पर एकमात्र निर्भरता रखी है जो कब्जे को दर्शाने के लिए एक राजस्व दस्तावेज नहीं है। यही, सबसे अच्छा, एक व्यक्ति द्वारा उस फसल के संबंध में एक स्व-घोषणा है जिसे उसने बोया है।यह किसी भी तरह से अधिकार स्थापित नहीं करता है और की इसे कानूनी रूप से अधिकार का दस्तावेज माना जाता हो ।

(पैरा 6)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन का पता लगाने के उद्देश्यों के लिए, एक व्यक्ति द्वारा संतुष्ट किए जाने के लिए एक ट्रिपल परीक्षण की आवश्यकता होती है। उक्त ट्रिपल परीक्षण की आवश्यकताएँ इस प्रकार हैंः

(i) प्रथमदृष्टया मामला,

(ii) सुविधा का संतुलन और

(iii) अपूरणीय क्षति और चोट ।

(पैरा 11)

इसके इलावा यह माना गया कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी मुकदमे की भूमि पर अपना एकमात्र, विशेष और खेती का अधिकार स्थापित करने में विफल रहे हैं और प्रतिवादी-वादी सुविधा के संतुलन के साथ अपने प्रथमदृष्टया कब्जे को स्थापित करने के लिए दस्तावेज दिखाने में समर्थ हुए हैं ,और उनकी संपत्ति का आनंद लेने की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण उन्हें अपूरणीय क्षति और चोट लगी है, ऐसे किसी भी अंतरिम निषेधाज्ञा से इनकार करने से प्रतिवादी-वादी को उनके उपयोग, कब्जे और संपत्ति के आनंद से वंचित होने की संभावना है।

(पैरा 12)

इसके इलावा यह माना गया कि ने याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने पहले के दस्तावेजों द्वारा से प्रतिवादीयों-वादियों के कब्जे की स्वीकृति उन्हें इसके विपरीत दलील देने से रोकती है।कब्जा तथ्य का सवाल होने के कारण और वादी अपने कब्जे का प्रदर्शन करने में समर्थ होने के कारण, प्रतिवादियों को भूमि में प्रवेश करने के लिए सह-हिस्सेदार के अधिकार से इनकार करने का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, विशेष रूप से जब ऐसे सह-हिस्सेदार के पास पहले से ही अपने हिस्से की सीमा तक भूमि का कब्जा हो।

(पैरा 13)

मनीष भसीन, अधिवक्ता और

रितेश अग्रवाल अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए ।

विनोद एस. भारद्वाज, जे. (मौखिक)

(1) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई है, जिसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र द्वारा पारित दिनांक 27.01.2022 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सी. पी. सी. के आदेश 39

सुंदरी देवी बनाम संतोश और अन्य

नियम 1 और 2 के खंड 151के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए एक आवेदन पर पारित आदेश के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को अनुमति दी गई है और सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड), कुरुक्षेत्र द्वारा पारित दिनांक 22.10.2021 के आदेश को रद्द किया गया है।

(2) वर्तमान मामले में शामिल तथ्यों के अनुसार उत्तरदाताओं - वादी के पूर्ववर्ती हित धरमपाल को खेवट संख्या 154, 155, 156 और 157 शामिल कुल भूमि 08 कनाल 06 मरला गाँव डोडा खीरी, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित भूमि के कब्जे के रूप में दर्ज किया गया था। उक्त भूमि का स्वामित्व वर्ष 2016-17 के लिए जामबंदी में विधिवत दर्शाया हुआ था। उक्त मुकदमे में यह तर्क दिया गया है कि कथित पूर्ववर्ती उक्त मालिक और सह-हिस्सेदार होने के नाते वह वास्तव में, भौतिक रूप से और अपने हिस्से की सीमा तक उक्त भूमि पर खेती का कब्जा था।दुर्भाग्य से उत्तरदाताओं-वादियों के हित में पूर्ववर्ती धरमपाल की मृत्यु 16.04.1998 पर हो गई, जो उत्तरदाताओं-वादियों को अपने एकमात्र वर्ग-I कानूनी उत्तराधिकारियों के रूप में पीछे छोड़ गए। धरम पाल की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने करनाल जिले के गाँव जलालवीरन के निवासी लक्ष्मण से फिर से शादी कर ली और तदनुसार, प्रतिवादी-वादी उक्त गाँव में रहने लगे। हालाँकि, प्रतिवादी-वादियों की पैतृक सम्पत्ति और घरेलू सामान भी गाँव डोडा खीरी, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र में बनाए रखा गया था।

(3) यह आगे तर्क दिया जाता है कि उनकी कृषि भूमि के प्रबंधन और खेती के लिए, यह पट्टा समझौते के तहत रतन डेरा गांव के निवासी पुन्न राम के बेटे शाम लाल, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र (यहाँ प्रतिवादी संख्या 4) के पक्ष में दिया गया था और वह उस पर खेती करने के अधिकार में रहा था। स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा तदनुसार प्रत्यर्थियों-वादियों द्वारा पट्टेदार से अपने कब्जे की रक्षा करने और अवैध रूप से और जबरन भूमि से बेदखल होने से बचाने के लिए किया गया था, जो उनके पूर्ववर्ती के पास विशेष खेती के कब्जे में था।मुकदमे के साथ, सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पठित आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत एक आवेदन भी दायर किया गया था। हालाँकि, इसे सिविल जज (कनिष्ठ खंड), कुरुक्षेत्र द्वारा पारित दिनांक 22.10.2021 केआदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।इससे व्यथित होकर, अतिरिक्त अदालत में एक अपील दायर की गई थी। जिला न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र द्वारा दिनांक 27.01.2022 के निर्णय के माध्यम से, उक्त अपील की अनुमति दी गई थी और प्रतिवादीयों-वादीयों को मुकदमे की संपत्ति में हस्तक्षेप करने और उसमें खड़ी फसलों को नष्ट करने से रोक दिया गया था।

(4) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित उक्त आदेश की आलोचना की ।जिला न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र ने तर्क दिया कि सह-हिस्सेदार और सह-मालिक के खिलाफ निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती थी। इसके समर्थन में, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले टी. रामलिंगेश्वर राव बनाम एन. माधव राव के मामले में पारित 2019 की सिविल अपील संख्या 3408 का निर्णय 05.04.2022 और साथ ही इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय भारतू बनाम राम स्वरुप आर. एस. ए. No.886/1969 के निर्णय दिनांक 26.03.1981 पेश किये गये है।

(5) मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और मौजूदा याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों को देखा है।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के उचित संदर्भ में, पैरा नं.18 के उक्त निर्णय में कहा गया है कि "सह-हिस्सेदार मुकदमा भूमि के विशेष कब्जे में होने के कारण निचली अदालतों के समक्ष समवर्ती रूप से साबित नहीं हो सका।" इसलिए, न्यायालय के समक्ष तथ्य का एक निश्चित निष्कर्ष दर्ज किया गया था कि सह-हिस्सेदार, जिसने कार्यवाही शुरू की थी, मुकदमे की भूमि पर अपना अनन्य कृषि अधिकार स्थापित नहीं मुकदमा सका। मौजूदा मामले में तथ्य का ऐसा कोई निष्कर्ष उपलब्ध नहीं है।वास्तव में, यह याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित मुकदमा भी नहीं है कि वे मुकदमे की संपत्ति के अन्य सह-हितधारकों के बहिष्कार के लिए विशेष रूप से खेती के कब्जे में हैं।याचिकाकर्ताओं द्वारा भूमि पर अपने खेती के कब्जे को स्थापित करने के लिए किसी भी खसरा, जामबंदी या राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है। उन्होंने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की वेबसाइट पर याचिकाकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए एक वेब-पोर्टल "मेरी फसल मेरा ब्योरा" पर एकमात्र निर्भरता रखी है जो कब्जे को दर्शाने के लिए एक राजस्व दस्तावेज नहीं है।वही, यह एक व्यक्ति द्वारा उस फसल के संबंध में एक स्व-घोषणा है जिसे उसने बोया है। यह किसी भी तरह से अधिकार स्थापित नहीं करता है या इसे कानूनी रूप से अधिकार का दस्तावेज माना जाता हो।

(7) निचली अपील न्यायालय द्वारा पारित फैसले के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादियों-वादियों ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष एक शिकायत भी प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर धारा 107/151 Cr.P.C के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। याचिकाकर्ता संख्या 1 का प्रतिवादी संख्या 1 होने का बयान दीवानी मुकदमा में 09.09.2019 पर दर्ज किया गया था जिसमें उसने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रतिअभियोक्ता-अभियोक्ता संख्या 1 संतोष ने मुकदमे की जमीन शाम लाल (अभियोक्ता संख्या 4) को पट्टे पर दी थी, इसी तरह, भा.दं.सं. की धारा 323 और 506 के तहत दर्ज 2020 की प्राथमिकी संख्या 239 में, याचिकाकर्ता संख्या.1 (जो उक्त प्राथमिकी में शिकायतकर्ता था) ने यह भी कहा था कि वादी -प्रतिवादी संख्या 1 संतोष देवी ने शाम लाल और जय राम को मुकदमे की जमीन पट्टे पर दी थी। उक्त पहलू स्थानीय आयुक्त की दिनांक12.03.2021 की रिपोर्ट से और स्पष्ट हो गया है, जिसके अनुसार उत्तरदाताओं-वादीयों को खसरा नं.14/12 (मुकदमा भूमि) पर कृषि कब्ज़ा पाया गया और याचिकाकर्ता-प्रतिवादीयों ने उन्हें नोटिस भेजे जाने के बावजूद, स्थानीय आयुक्त द्वारा वादग्रस्त भूमि के स्थल निरीक्षण और सीमांकन के समय उपस्थित नहीं होने का फैसला किया। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति सक्षम राजस्व प्राधिकरणों द्वारा प्रतिवादियों-वादियों द्वारा किए गए आवेदन पर की गई थी।

(8) यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि इस न्यायालय द्वारा कुछ निर्णय । बचन सिंह बनाम स्वर्ण सिंह के मामले के दीवानी संशोधन No.4549/1997 के निर्णय 06.03.2000 पर पारित किया गया है ।इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा निम्नलिखित पर ध्यान दिया ;-

सुंदरी देवी बनाम संतोश और अन्य

“7. कोचकुंजा रेयर बनाम कोशी अलेक्जेंडर और ओआरएस, III में हाल के एक निर्णय में। 1999 एस. एल. टी. 183, शीर्ष न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

"साझेदारी तीन आवश्यक अधिकारों का आयात करती है-(i) कब्जे का अधिकार,(ii) आनंद लेने का अधिकार और(iii) निपटाने का अधिकार। यदि किसी मालिक को अपनी संपत्ति के कब्जे से गलत तरीके से वंचित किया जाता है तो उसे उस पर कब्जा करने का अधिकार है। भूमि के सह-मालिक के मामले में तीनों आवश्यक बातें पूरी होती हैं। सभी सह-मालिकों के पास संपत्ति में समान अधिकार और समन्वित हित होते हैं, हालांकि उनके शेयर या तो निश्चित या अनिश्चित हो सकते हैं।प्रत्येक सह-स्वामी को अन्य सह-स्वामी और सह-मालिकों के बराबर आनंद और कब्जे का अधिकार है। प्रत्येक सह-मालिक को, सिद्धांत रूप में, विषय वस्तु के प्रत्येक अनंत छोटे हिस्से में रुचि है और प्रत्येक को अपने हित की मात्रा के बावजूद, दूसरों के साथ संयुक्त रूप से संपत्ति के प्रत्येक हिस्से और हिस्से पर कब्जा करने का अधिकार है (वजरिए मित्रा का सह-स्वामित्व और विभाजन, सातवां संस्करण)।

सह-मालिकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या एक सह-मालिक द्वारा दूसरे को उस संपत्ति का आनंद लेने से रोकने में हस्तक्षेप किया जा सकता है जो उसके कब्जे में है, निषेधाज्ञा देकर हस्तक्षेप किया जा सकता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने छेदी लाल और ए. एन. आर. बनाम.छोटे लाल, ए. आई. आर. 1951 इलाहाबाद 199 निम्नलिखित विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बादः-

"पूर्वगामी निर्णय के परिणामस्वरूप, हमें यह प्रतीत होता है कि संयुक्त भूमि के संबंध में सह-हितधारकों के अधिकार के प्रश्न को इस प्रश्न से अलग और अलग रखा जाना चाहिए कि एक सह-हितधारक को क्या राहत दी जानी चाहिए, जिसके संयुक्त भूमि के संबंध में अधिकार पर अन्य सह-हितधारकों द्वारा या तो विशेष रूप से विनियोजन और खेती करके आक्रमण किया गया है। भूमि या उस पर निर्माण करके।कुछ निर्णयों में टकराव स्पष्ट रूप से दो अलग-अलग मामलों के भ्रम से पैदा हुआ है। जबकि, इसलिए, एक सह-हिस्सेदार को अन्य सह-हिस्सेदारों के नुकसान के लिए विशेष रूप से अपने लिए भूमि का अधिग्रहण करने वाले दूसरे सह-हिस्सेदार पर आपत्ति करने का अधिकार है, सवाल यह कि अभियोक्ता को उसके अधिकारों के आक्रमण की स्थिति में क्या राहत दी जानी चाहिए, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। विध्वंस और निषेधाज्ञा के लिए राहत का अधिकार न्यायालय द्वारा मामले में स्थापित परिस्थितियों के अनुसार दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा। यदि साक्ष्य यह स्थापित करता है कि अभियोक्ता को विभाजन के समय पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दिया जा सकता है और यह कि राहत देने से इनकार करने से उसे अधिक नुकसान होगा तो न्यायालय दोनों राहत देने के लिए राजी महसूस कर सकता है । इसके विपरीत यदि राहत देने से प्रतिवादी को सामग्री और पर्याप्त नुकसान होगा, तो न्यायालय निस्संदेह इस तरह की राहत को रोकने में उचित विवेक का प्रयोग करेगा।जैसा कि कुछ मामलों में बताया गया है, प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने विशिष्ट तथ्यों पर किया जाएगा और यह अदालत पर छोड़ दिया जाएगा कि वह

परिस्थितियों के प्रमाण पर अपने विवेक का प्रयोग करे कि सुविधा का संतुलन किस तरफ है।यह कि न्यायालय विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायाधीश समानता और सद्भावना के विचारों द्वारा निर्देशित होगा, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है और न्यायालय के लिए उन परिस्थितियों के बारे में एक कठोर नियम निर्धारित करना संभव नहीं है जिनमें विध्वंस और निषेधाज्ञा के लिए राहत दी जानी चाहिए या अस्वीकार कर दी जानी चाहिए।

15. इस विषय पर न्यायिक घोषणाओं पर विचार करने पर, हमारी राय है किः

(i) एक सह-मालिक जिसके पास संपत्ति के किसी भी हिस्से का कब्जा नहीं है, वह किसी अन्य सह-मालिक के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करने का हकदार नहीं है, जो सामान्य संपत्ति के विशेष कब्जे में रहा है, जब तक कि संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति का कोई भी कार्य सह-मालिक के हित को कब्जे से बाहर करने, प्रतिकूल या प्रतिकूल करने के बराबर न हो।

((ii) सामान्य संपत्ति में केवल निर्माण या सुधार करना निष्कासन के बराबर नहीं है।

(iii) यदि कब्जे में सह-मालिक के कार्य से संपत्ति का मूल्य या उपयोगिता कम हो जाती है, तो सह-मालिक स्वामित्व का अधिकार निश्चित रूप से संपत्ति के मूल्य और उपयोगिता में कमी को रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग कर सकता है।

(iv) यदि कब्जे वाले में सह-मालिक के कार्य अन्य सह-मालिकों के हित के लिए हानिकारक हैं, तो कब्जे से बाहर का सह-मालिक ऐसे कार्य को रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग कर सकता है, जो उसके हित के लिए हानिकारक है।

अन्य सभी मामलों में, संपत्ति के कब्जे से बाहर सह-मालिक का उपाय विभाजन की मांग करना है, लेकिन कब्जे में सह-मालिक को इसके प्रत्येक इंच पर अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कोई भी कार्य करने से रोक निषेधाज्ञा नहीं है वह एक सह-मालिक के रूप में कार्य कर रहा है।

(9) इसी तरह के दृष्टिकोण पर इस न्यायालय द्वारा एक मामले **आर. एस. ए. No. 3818/2010 के करम सिंह और एक अन्य बनाम लखबीर कौर और अन्य निर्णीत 25.10.2010** पर चर्चा की गई है।

उक्त का प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया हैः

“जब ऐसा सह-शेयरधारक अन्य सह-शेयरधारकों को छोड़कर भूमि के अनन्य कब्जे में होता है, तो सह-शेयरधारक द्वारा अन्य सह-शेयरधारकों के खिलाफ निषेधाज्ञा की राहत मांगी जा सकती है । लेकिन जब सभी सह-शेयरधारकों का कब्जा संयुक्त होता है, तो किसी भी सह-शेयरधारक द्वारा निषेधाज्ञा की राहत नहीं मांगी जा सकती है और सह-शेयरधारक को जो राहत उपलब्ध है वह है सीमा-दर-सीमा विभाजन की मांग करना। भूमि का हिस्सा खरीदकर, उत्तरदाता संख्या 1 से संयुक्त खाते में से, उत्तरदाता संख्या 2 से 5 वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त खाते में सह-हिस्सेदार बन गए हैं और उनकी स्थिति समान होने और कब्जा संयुक्त होने के कारण, वादी स्थायी निषेधाज्ञा की मांग नहीं कर सकते हैं

जो उन्हें अपने संयुक्त कब्जे में भूमि का उपयोग करने से रोकता है क्योंकि प्रत्येक सह-हिस्सेदार को अन्य सह-हिस्सेदारों द्वारा समान अधिकार के प्रयोग में बाधा उत्पन्न किए बिना पति जैसे तरीके से संयुक्त संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार और अधिकार है।चूंकि, वादी /अपीलकर्ता मुकदमे की संपत्ति पर अपने अनन्य कब्जे को साबित करने में विफल रहे हैं, इसलिए, नीचे दिए गए न्यायालयों के निष्कर्षों में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है।"

(10) इस दृष्टिकोण का आगे इस न्यायालय द्वारा अनुसरण किया गया 2018 के आर. एस. ए संख्या 216 में 10.12.2019 पर निर्णीत केस **गुरजंत सिंह बनाम जगदेव सिंह और अन्य का मामला,** जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अन्य सह-शेयरधारक के खिलाफ सह-शेयरधारक द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा तब तक कायम नहीं रखा जा सकता जब तक कि वह अपने विशेष अधिकार को साबित करने में समर्थ न हो।पैरा सं.8 में उल्लिखित प्रासंगिक उद्धरण उक्त निर्णय को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"8. अपीलकर्ता यह साबित करने में समर्थ नहीं है कि उसके पास संपत्ति का विशेष अधिकार है। बल्कि अपीलकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया कि प्रतिवादी मुकदमे की संपत्ति में सह-हिस्सेदार हैं जैसा कि जामबंदी Ex.P3 और Ex.D1 में परिलक्षित होता है। इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले **बचन सिंह बनाम स्वर्ण सिंह 2000 (3) आर. सी. आर. (सिविल) 70** को देखते हुए सह-शेयरधारक द्वारा अन्य सह-शेयरधारकों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा तब तक कायम नहीं रखा जा सकता जब तक कि वह अपना विशेष अधिकार साबित करने में समर्थ न हो जाए। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि वह मुक़दमे की संपत्ति के विशेष कब्जे में है।

(11) कि अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन का पता लगाने के उद्देश्यों के लिए, एक व्यक्ति द्वारा संतुष्ट होने के लिए एक ट्रिपल परीक्षण की आवश्यकता होती है।उक्त ट्रिपल परीक्षण की आवश्यकताएँ इस प्रकार हैंः

((i) प्रथमदृष्टया मामला,

((ii) सुविधा का संतुलन और

((ग) अपूरणीय क्षति और चोट ।

(12) याचिकाकर्ता-प्रतिवादी मुकदमे की भूमि पर अपना एकमात्र, विशेष और खेती का अधिकार स्थापित करने में विफल रहे हैं और प्रतिवादी-वादी सुविधा के संतुलन के साथ अपने प्रथमदृष्टया कब्जे को स्थापित करने के लिए दस्तावेज दिखाने में समर्थ हैं और उनकी संपत्ति का आनंद लेने की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण उन्हें एक अपूरणीय क्षति और चोट लगी है, इस तरह के किसी भी अंतरिम निषेधाज्ञा से इनकार करने से प्रतिवादी-वादी को उनके उपयोग, व्यवसाय और संपत्ति के आनंद से वंचित होने की संभावना है।

(13) याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने पहले के दस्तावेजों द्वारा से प्रत्यर्थियों-वादियों के कब्जे की स्वीकृति उन्हें इसके विपरीत अभिवचन करने से रोकती है। कब्जे का

सवाल होने के कारण और वादी अपने कब्जे का प्रदर्शन करने में समर्थ होने के कारण, प्रतिवादियों को भूमि में प्रवेश करने के लिए सह-हिस्सेदार के अधिकार से इनकार करने का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, विशेष रूप से जब ऐसे सह-हिस्सेदार के पास पहले से ही अपने हिस्से की सीमा तक भूमि का कब्जा हो।

(14) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मुझे निचली अपील न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 27.01.2022 के फैसले में कोई अवैधता या अनुचितता नहीं मिलती है। मौजूदा याचिका में कोई दम ना है खारिज कर दिया जाता है।

(15) यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ ऊपर की गई अभिव्यक्तियाँ और टिप्पणियां केवल इस स्तर पर मौजूदा याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से हैं, और निचली अदालत संबंधित पक्षों द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मामले/मुकदमे का निर्णय करेगा।

डॉ. सुमती जुंद

अश्विकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सका है ! सभी वय्हावरिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा !

YASHPAL GUPTA,TRANSLATOR